संख्या:03/2020/4271जेएल/22-3-19-100(122)/2019

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2020***

विषय: जिला कारागार गाजीपुर में निरूद्ध 04 विचाराधीन/सिद्धदोष बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-36562/सामा-1(3)/गाजीपुर/2019, दिनांक 20-12-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार गाजीपुर में निरूद्ध निम्नलिखित 04 विचाराधीन/सिद्धदोष बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	वि0 बंदी महेन्द्र राजभर पुत्र श्री दासू	जि0का0गाजीपुर	जि0का0 सुलतानपुर
2	वि0 बंदी पंकज राय पुत्र श्री सीताराम	जि0का0गाजीपुर	जि0का0 चित्रकूट
3	वि0 बंदी सजल चौधरी पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह	जि0का0गाजीपुर	जि0का0 अयोध्या
4	सि0/वि0 बंदी विमलेश पुत्र श्री ध्रुवजीत सिंह	जि0का0गाजीपुर	के0का0 नैनी

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

संख्या:03/2020/4271जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर/सुलतानपुर/चित्रकूट/अयोध्या/प्रयागराज।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर/सुलतानपुर/चित्रकूट/अयोध्या/प्रयागराज।
5. अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार गाजीपुर/सुलतानपुर/चित्रकूट/अयोध्या।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in